



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08112025-267477  
CG-MH-E-08112025-267477

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4886]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947

No. 4886]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 6 नवम्बर, 2025

का.आ. 5041(अ).—जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 903 (ई), दिनांक 10 जनवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए में प्रकाशित किया गया था, द्वारा केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, गुजरात राज्य के जिला कच्छ में विशेष रेलवे परियोजना, सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) आरओबी-2, को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र “कच्छ मित्र” (गुजराती), “यंग लीडर (हिंदी) & “टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी), 16 जनवरी, 2025 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी

### अनुसूची

कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम परियोजना की नई तीसरी और चौथी ब्रॉड गेज लाइन प्रदान करने के लिए जोड़ना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm.)
1	भचाऊ	चिराई मोटी	1003/Paki (नदी)	सरकार	5-54-57
2	भचाऊ	चिराई मोटी	434	खेती	0-00-26
3	भचाऊ	चिराई मोटी	435	खेती	0-28-94
4	भचाऊ	चिराई मोटी	433	खेती	0-00-32
5	भचाऊ	चिराई मोटी	गमधल	सरकार	0-03-18
6	भचाऊ	चिराई मोटी	01 तालाब	सरकार	0-19-10
				कुल:	6-06-37

[फा. सं. E. -595112-22)]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II

### MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Mumbai, 6th November, 2025

**S.O. 5041(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 903 (E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, and operation of the Special Railway Project, namely Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) ROB-2, in District Kutch in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra” (Gujarati), “Times Of India” (English), & “Yung Leader ” (Hindi) dated 16<sup>th</sup> January, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, And, whereas, nil objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed, And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Connecting to provide New 3rd and 4th Brode Guage line of Samakhiali Gandhidham Project in District Kutch in the state of Gujarat.**

**Name of District: Kutch**

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Chirai Motti	1003/Pakki (River)	Government	5-54-57
2	Bhachau	Chirai Motti	434	Agriculture	0-00-26
3	Bhachau	Chirai Motti	435	Agriculture	0-28-94
4	Bhachau	Chirai Motti	433	Agriculture	0-00-32
5	Bhachau	Chirai Motti	Gamdhal	Government	0-03-18
6	Bhachau	Chirai Motti	01-Lake	Government	0-19-10
		Total Land			<b>6-06-37</b>

[F. No. E- 595112-22]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager (Const.)-II